

बिना चीरा लगी अफीम कृषि प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के जुताई(Plough back) के द्वारा नश्टीकरण बाबत् आवेदन

(जिन कृशकों के बिना चीरा लगे अफीम प्लाटकी अफीम फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। । उनको अपनी क्षतिग्रस्त अफीम फसल की जुताई (Plough back) के द्वारा नश्टीकरण हेतु नियततिथि की समाप्ति से पूर्व यह आवेदन-पत्र सम्बन्धित डिवीजनमें प्रेशित करना अनिवार्य होगा।किसी अन्य प्रारूप में दिया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।)

दिनांक

सेवामें,

श्रीमान् जिला अफीम अधिकारी

.....
.....

महोदय,

निवेदन है कि फसल वर्ष 2022-23 प्रार्थी के नामजारीहेक्टेअर क्षेत्रफल के अफीम लाइसेंस के अन्तर्गत मेरे द्वाराहेक्टे अर में अफीम का त की गई है।उक्त अफीम का त एक/दोप्लाटोंमें की गई है।मेरे अफीम का त के प्लाट/प्लाटों के खसरान.तथा क्षतिग्रस्त अफीम फसल काविवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	विवरण	प्लाट संख्या 1	प्लाट संख्या 2
1.	बन्दोबस्त क्षेत्रफल (हेक्टेअर)		
2.	प्लाटका खसरानं.		
3.	प्लाटका क्षेत्रफल (वर्गमीटर/हेक्टेअर में)		
4.	प्लाटमेंचीराप्रारम्भहुआहैअथवा नहीं ?		
5.	यदिचीराप्रारम्भहुआहैतोचीराप्रारम्भहोनेकीतिथि		
6.	यदिचीराप्रारम्भ नहीं हुआहैतो क्षतिग्रस्तअफीमफसल, जिसेजुताईजुताई (Plough back) के द्वारा नश्टीकरणकरवानाहै, की अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		

श्वेदन है कि मेरी अफीम प्लाट संख्याजिसमें अभी तक चीरा प्रारम्भ नहीं हुआ है, के लगभग हेक्टेअर क्षेत्रफल में बोई गई अफीम फसलका हिस्सा दिनांकको हुई ओलावृष्टि/ असमय बारि । अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। अतः कृपया उक्त अफीम प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के हिस्सेको विभागीय निगरानी में नियमानुसार नश्ट करवाने की कृपा करें। आवेदक कृशककानाम व विवरण निम्नानुसार है:-

1.	आवेदक कृशकका नाम	
2..	आवेदक कृशक के पिता /पतिकानाम	
3.	आवेदक कृशक की यूनिककोड संख्या	
4.	ग्रामकानाम	
5.	तहसीलकानाम	
6.	जिलाकानाम	
7.	डिवीजनकानाम	
8.	रेन्जनम्बर	
9.	यदि आप के किसी अफीम प्लाट के बिना चीरा लगी अफीम फसल के क्षतिग्रस्त हिस्से के नश्टीकरण के प चात उक्त अफीम प्लाट के भोश फसल में चीरा लगा नाहो तो स्पष्ट" चीरा लगाने बावत् - तत्काल	

	कार्यवाही हेतु" अंकित करें। ऐसे आवेदनो पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करनेका प्रयास किया जाएगा।	
10.	यदि आपकी अफीम फसल देर से बुआई होने के कारण फसल छोटी हो कर अभी तक उसमें अफीम डोडे नहीं बने हो तथा आप उस क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कराना चाहते हो तो स्पष्ट "डोडा रहित अफीम फसल, - तत्काल कार्यवाही हेतु" अंकित करे। ऐसे आवेदना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करनेका प्रयास किया जाएगा।	
11.	यदि आपकी अफीम फसल में अफीम डोडे बन चुके हो तथा आप उसे क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कराना चाहते हो तो स्पष्ट "डोडा सहित अफीम फसल - तत्काल कार्यवाही हेतु" अंकित करें। ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही दिनांक 15.03.2023 के पश्चात किया जाएगा।	

मैं यह वचन देता हूँ कि मेरी क्षतिग्रस्त अफीम फसल को विभागीय निगरानी में जुताई (Plough back) के द्वारा नष्टीकरण के समय मैं विभागीय अधिकारियोंका पूर्ण सहयोग करूंगा तथा नष्टीकरण के पश्चात जो भी डोडा चूरा उत्पादित होगा, उससे अथवा उसके किसी अंश से किसी प्रकारकी छेड़-छाड़ या खुर्द-बुर्द नहीं करूंगा। समस्त उत्पादित डोडाचूरा का मैं विभागीय अधिकारियों के समक्ष उनके निर्देशानुसार बताए गए विधि से नष्ट करदूंगा। अन्यथा मेरे विरुद्ध विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी जानकारी एवं कथन सत्य है। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में से कोईभी जानकारी अथवा मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त वचन असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अफीम लम्बरदार के हस्ताक्षर/अगूँठा निशानी

अफीम कृशक के हस्ताक्षर/अगूँठा निशानी